

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:-दिव्या RAS

प्रकरण संख्या:-469 / 2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा:-88, 53 आर.टी.ए.

- 1 बलवीर सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ ।
- 2 गुरतेज सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ ।
- 3 सर्वजीत कौर धर्मपत्नी स्व० श्री टेक सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ ।
- 4 राजवीर सिंह पुत्र स्व० श्री टेक सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ ।
- 5 नानक सिंह पुत्र स्व० श्री टेक सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ ।

—वादीगण

बनाम

1. तोता सिंह पुत्र स्व० श्री गोविन्द सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ ।
2. रामप्यारी पत्नी तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ ।
3. सुखविन्द्र कोर पुत्री श्री तोता सिंह धर्मपत्नी श्री हरपाल सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।
4. मनजीत कौर (पुत्री स्व० श्री टेक सिंह पुत्र श्री तोता सिंह) पत्नी सुखपाल सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ ।
5. अलाबक्श पुत्र शकिना उर्फ सोना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ ।
6. अलादिता पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ ।
7. खुदाबक्श पुत्र शकिना उर्फ सोना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ ।
8. निशा बीबी पुत्री शकिना उर्फ सोना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ ।
9. माफिया बीबी पुत्री शकिना उर्फ सोना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ ।
10. रहमत अली पुत्र हम्मा बीबी जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ ।
11. वारस अली पुत्र पठाना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ ।
12. शेरा खां पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ ।
13. सतार पुत्र इब्रीम जाति मुसलमान निवासी प्रेमनगर हनुमानगढ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ ।
14. सलीम पुत्र पठाना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ ।
15. श्योकतअली पुत्र पठाना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ ।
16. हजूर बीबी पुत्री शकिना उर्फ सोना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ ।
17. हसन मुबारक पुत्र राणे खां जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ ।
18. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ ।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री विक्रम सिंह राठोड़ – अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मदन गोदारा प्रतिवादी सं. 1 ता 4
3. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 18

—:निर्णय:-

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व



दीगर प्रतिवादीगण संख्या 5 से 17 के नाम निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है :- **प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि का विवरण :-**

(क) चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 72/47 के पत्थर नंबर 159/372 (78) किला नंबर 21 से 25 कुल तादादी 1.265 हैक्टेयर अनकमाण्ड।

(ख) चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 71/151 के पत्थर नंबर 158/372 (79) किला नंबर 16 ता 25, पत्थर नंबर 158/373 (85) किला नंबर 4, 5, पत्थर नंबर 159/373 (86) किला नंबर 1 से 25 कुल तादादी 9.311 हैक्टेयर अनकमाण्ड में 505/9311 हिस्सा यानि 0.505 हैक्टेयर।

प्रतिवादी संख्या 2 के नाम भूमि का विवरण :-

(ग) चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 162/128 के पत्थर नंबर 158/372 (79) किला नंबर 5, 6, 7, 14, 15, पत्थर नंबर 159/372 (78) किला नंबर 1, 10/2/0.126, कुल तादादी 1.644 हैक्टेयर अनकमाण्ड। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वादपत्र है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पुत्र, पुत्रवधू व पोत्र वादीगण है। प्रतिवादी संख्या 1 तोता सिंह के पिता स्व० श्री गोविन्द सिंह तहसील सादुलशहर के चक 11 एसडीएस में गोविन्द सिंह पुत्र बगना सिंह उर्फ जगता सिंह के नाम दर्ज भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त भूमि गोविन्द सिंह के देहान्त के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को विक्रय कर तहसील हनुमानगढ़ की उक्त वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि खरीद की। दोनो चकों के इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कुल 3.542 हैक्टेयर कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम चक 11 एसडीएस की भूमि को विक्रय कर खरीद की गई है। इस भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ जन्मतः हक व अधिकार है। वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य अर्सा दराज पूर्व अच्छी मंदी के लिहाज से घराघरू बंटवारा किया हुआ है तथा बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 जो अपने ससुराल में निवास कर रही है जिनके विवाह आदि सामाजिक संस्कारों में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने संयुक्त रूप से काफी मात्रा में दान दहेज दिया है प्रतिवादी संख्या 3 ने वादीगण के पक्ष में हिस्सानुसार व प्रतिवादी संख्या 4 ने वादीगण संख्या 3 से 5 के पक्ष में मौखिक रूप से तर्क कर दिया है। अब प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 उक्त भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दीगर चक में बंटवारा अनुसार अपना हक व हिस्सा प्राप्त कर लिया है। उक्त भूमि मुताबिक बंटवारा वादीगण के कब्जा काश्त में है तथा इसी अनुसार रकमराज व आबयाना अदा करते आ रहे है। मुताबिक घराघरू बंटवारा वादीगण को निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि प्राप्त हुई है :-

क- वादीगण को घराघरू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण :-

(क) चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 72/47 के पत्थर नंबर 159/372 (78) किला नंबर 21 से 25 कुल तादादी 1.265 हैक्टेयर अनकमाण्ड में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 से 5 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब.।

(ख) चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 71/151 के पत्थर नंबर 158/372 (79) किला नंबर 16 ता 25, पत्थर नंबर 158/373 (85) किला नंबर 4, 5, पत्थर नंबर 159/373 (86) किला नंबर 1 से 25 कुल तादादी 9.311 हैक्टेयर अनकमाण्ड में 505/9311 हिस्सा यानि 0.505 हैक्टेयर, में वरवक्त बैयनामा शेर खां द्वारा अपने हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार पत्थर नंबर 158/372 (79) के किला नंबर 21/2/0.228, 22/0.076, कुल तादादी 0.304 हैक्टेयर खरीद की। इसी प्रकार अल्लादित्ता पुत्र फजलदीन से पत्थर नंबर 158/372 (79) के किला नंबर 22/0.177, 23/0.025 कुल 0.202 हैक्टेयर इस प्रकार उक्त खाता में पत्थर नंबर 158/372 (79) किला नंबर 21/2, 22/0.253, 23/0.025 कुल 0.506 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 से 5 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. का खाता अलग कायम करवाकर रकमराज अलग कायम करवाने के अधिकारी व दावेदार है।

(ग) चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 162/128 के पत्थर नंबर 158/372 (79) किला नंबर 5, 6, 7, 14, 15, पत्थर नंबर 159/372 (78)

किला नंबर 1, 10/2/0.126, कुल तादादी 1.644 हैक्टेयर अनकमाण्ड में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 से 5 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब.।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णितानुसार वादीगण को घराघरू विभाजन में प्राप्त हुई है इसी अनुसार वादीगण काबिज काशत है लेकिन उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक घराघरू विभाजन वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने वादीगण के हक एवं हकूको पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा उन्हें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण वादीगण मुताबिक घराघरू विभाजन वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णितानुसार कृषि भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर इसी अनुसार खाता तकसीम करवाने के अधिकारी व दावेदार है।

यह कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में से वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णितानुसार कृषि भूमि की वादीगण के नाम घोषणा करवाकर खाता तकसीम करवा देवे लेकिन वे इनकार हो गये। यही वाद कारण है।

यह कि वादपत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित है, इसलिए वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादपत्र वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

क- कि घोषणा फरमाई जावे कि चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के **खाता संख्या 72/47** के पत्थर नंबर 159/372 (78) किला नंबर 21 से 25 कुल तादादी 1.265 हैक्टेयर अनकमाण्ड में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 से 5 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. एवं चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के **खाता संख्या 71/151** के पत्थर नंबर 158/372 (79) किला नंबर 21/2, 22/0.253, 23/0.025 कुल 0.506 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 से 5 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. एवं चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के **खाता संख्या 162/128** के पत्थर नंबर 158/372 (79) किला नंबर 5, 6, 7, 14, 15, पत्थर नंबर 159/372 (78) किला नंबर 1, 10/2/0.126, कुल तादादी 1.644 हैक्टेयर अनकमाण्ड में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 से 5 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार है।

ख- कि मुताबिक घोषणा अनुतोष 'क' में वर्णितानुसार कृषि भूमि का खाता अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे।

≈ वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता मदन गोदारा ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। जवाब दावा में प्रतिवादी सं. 3 ने वादीगण के पक्ष में हिस्सानुसार व प्रतिवादी सं. 4 ने वादीगण सं. 3 ता 5 के पक्ष में अपना हिस्सा मौखिक रूप से तर्क किए जाने का व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 उक्त भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है का अंकन किया है। वादीगण सं. 5 ता 17 तलबी उपरांत व बार बार आवाज लगाने पर भी हाजिर नहीं आए, इसलिए प्रतिवादी सं. 5 ता 17 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 18 की तरफ से जवाब स्टेट पेश किया गया।

≈ हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पक्षकारान उभयपक्ष द्वारा पेश वाद पत्र व जवाब दावा अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मुताबिक वाद पत्र व जवाब दावा के, वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि:- चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के **खाता संख्या 72/47** के पत्थर नंबर 159/372 (78) किला नंबर 21 से 25 कुल तादादी 1.265 हैक्टेयर अनकमाण्ड में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 से 5 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. एवं चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के **खाता संख्या 71/151** के पत्थर नंबर 158/372 (79) किला नंबर 21/2, 22/0.253, 23/0.025 कुल 0.506 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 से 5 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. एवं चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के **खाता संख्या 162/128** के पत्थर नंबर 158/372 (79) किला नंबर 5, 6, 7, 14, 15, पत्थर नंबर 159/372 (78) किला नंबर

1, 10/2/0.126, कुल तादादी 1.644 हैक्टेयर अनकमाण्ड में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 से 5 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं व इसी अनुसार वादीगण का उक्त वर्णित भूमि में खाता अलग अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते हैं। चक 9 आरपी खाता सं. 72/47 में खातेदार तोतासिंह व खाता सं. 162/128 में खातेदार रामप्यारी व खाता सं. 71/151 में खातेदार तोतासिंह का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते हैं। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। यदि स्टाम्प ड्यूटी देय हो तो, तहसीलदार हनुमानगढ नियमानुसार गणना कर वसूल करेंगे।

तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोट:- प्रश्नगत रकबा रहन हो तो, रहन मुक्त होने पर निर्णय की पालना की जावें।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:-(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्या:-469 / 2023

- 1 बलवीर सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 2 गुरतेज सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 3 सर्वजीत कौर धर्मपत्नी स्व० श्री टेक सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 4 राजवीर सिंह पुत्र स्व० श्री टेक सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 5 नानक सिंह पुत्र स्व० श्री टेक सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—वादीगण

बनाम

1. तोता सिंह पुत्र स्व० श्री गोविन्द सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. रामप्यारी पत्नी तोता सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी चक 9 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सुखविन्द्र कोर पुत्री श्री तोता सिंह धर्मपत्नी श्री हरपाल सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. मनजीत कौर (पुत्री स्व० श्री टेक सिंह पुत्र श्री तोता सिंह) पत्नी सुखपाल सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
5. अलाबक्श पुत्र शकिना उर्फ सोना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. अलादिता पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. खुदाबक्श पुत्र शकिना उर्फ सोना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. निशा बीबी पुत्री शकिना उर्फ सोना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. माफिया बीबी पुत्री शकिना उर्फ सोना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. रहमत अली पुत्र हम्मा बीबी जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. वारस अली पुत्र पठाना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. शैरा खां पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. सतार पुत्र इब्रीम जाति मुसलमान निवासी प्रेमनगर हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. सलीम पुत्र पठाना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
15. श्योकतअली पुत्र पठाना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
16. हजूर बीबी पुत्री शकिना उर्फ सोना जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
17. हसन मुबारक पुत्र राणे खां जाति मुसलमान निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
18. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री विक्रम सिंह वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री मदन गोदारा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:- चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 72/47 के पत्थर नंबर

159/372 (78) किला नंबर 21 से 25 कुल तादादी 1.265 हैक्टेयर अनकमाण्ड में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 से 5 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. एवं चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के **खाता संख्या 71/151** के पत्थर नंबर 158/372 (79) किला नंबर 21/2, 22/0.253, 23/0.025 कुल 0.506 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 से 5 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. एवं चक 9 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के **खाता संख्या 162/128** के पत्थर नंबर 158/372 (79) किला नंबर 5, 6, 7, 14, 15, पत्थर नंबर 159/372 (78) किला नंबर 1, 10/2/0.126, कुल तादादी 1.644 हैक्टेयर अनकमाण्ड में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 से 5 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं व इसी अनुसार वादीगण का उक्त वर्णित भूमि में खाता अलग अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते हैं। चक 9 आरपी खाता सं. 72/47 में खातेदार तोतासिंह व खाता सं. 162/128 में खातेदार रामप्यारी व खाता सं. 71/151 में खातेदार तोतासिंह का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते हैं। यदि स्टाम्प ड्यूटी देय हो तो, तहसीलदार हनुमानगढ़ नियमानुसार गणना कर वसूल करेंगे।

तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज **xxx** नल **xxx** मुब्लिक **xxx** निल **xxx** बाबत् **xxx** निल **xxx** खर्चा मुकदमें के मय शूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक **xxx** अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक को जारी किया गया।
नोट:- प्रश्नगत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्ति के डिक्री का निष्पादन किया जावें।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़